प्रकाशन के लिए अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विधिक अपील (छतिपूर्ति) क्रं ३३२/२००७

अपीलार्थी – गेंदराम साहू

विरुद्ध

प्रत्यर्थी – सुरेंद्र कुमार जायसवाल एवं अन्य

अधिनिर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ प्रस्तुत - ०५/०७/२०११

माननीय श्री राजीव गुप्ता

में सहमत हूँ |

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

दिनांक ०७/०७/२०११ को

सूचीबद्ध

सही/-

एन . के. अग्रवाल

न्यायाधीश

<u>उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर</u>

<u>एम. ए. (सी) संख्या ३३२/२००७</u>

<u>अपीलार्थी / दावा-कर्ता</u> : गेंदराम साहू, पिता - श्री शिव प्रसाद साहू, आयु लगभग 28 वर्ष,

निवासी - हथनीपारा, थाना भाटापारा, तहसील भाटापारा,

जिला रायपुर (छ.ग.)

<u>विरुद्ध</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रत्यर्थी / अनावेदकगण</u>: 1. सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, पिता - श्री पारसनाथ जायसवाल,

निवासी - मो. लाइन भाटा, जेल रोड, कटघोरा,

थाना एवं तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

(दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक सी.जी.-१०-ए-९११७ का चालक)

2. अवतार सिंह, पिता - श्री नच्छत्तर सिंह,

निवासी - तेलीपारा, बिलासपुर,

तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

(दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक सी.जी.-१०-ए-९११७ का स्वामी)

3. दि ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड,
द्वारा - मंडल प्रबंधक,
दि ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड,
कचहरी चौक, जेल रोड, मदीना मंज़िल, रायपुर,
तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

(दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक सी.जी.-१०-ए-९११७ की बीमाकर्ता

(मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा १७३ के अंतर्गत अपील)

(पीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री प्रकाश मिश्रा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री सुधीर अग्रवाल एवं श्री पी. दत्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक-३ की ओर से अधिवक्ता।

अधिनिर्णय

(दिनांक ०७/०७/२०११ को उद्घोषित)

न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल द्वारा:

1. यह दावा-कर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील है, जो अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भाटापारा, जिला रायपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा

प्रकरण क्रमांक १२/०६ में दिनांक ०५-१२-२००६ को पारित अधिनिर्णय में वृद्धि हेतु दायर की गई है।

2. दिनांक २२-१२-२००५ को अपीलार्थी/दावा-कर्ता बॉक्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.-०४-सी-२८२० पर पिलियन सवार के रूप में बैठा हुआ था, जिसे झुमुकलाल देवांगन चला रहा था, और जब वे पांडे मेडिकल स्टोर, सिमगा के समीप पहुँचे, तब मोटरसाइकिल एवं ट्रक क्रमांक सी.जी.-१०-ए-९११ के मध्य आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल चालक झुमुकलाल देवांगन की मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उक्त दुर्घटना में अपीलार्थी/दावा-कर्ता को हुई चोटों के संबंध में, मोटर वाहन अधिनियम की धारा १६६ के अंतर्गत वाहन चालक, स्वामी एवं दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के बीमाकर्ता के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर ₹७,००,०००/- की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था; जिसके विरुद्ध अधिकरण ने प्रत्यर्थियों को संयुक्त एवं पृथक रूप से भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराते हुए कुल ₹२०,०००/- की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की।

4. अधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए यह पाया कि प्रत्यर्थी क्रमांक-१, अर्थात् ट्रक चालक, तथा झुमुकलाल, अर्थात् मोटरसाइकिल चालक–दोनों दुर्घटना के कारण के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी थे, और उनके बीच आपसी लापरवाही का अनुपात ४०:६०निर्धारित किया। अधिकरण ने अपीलार्थी को देय क्षतिपूर्ति राशि ₹५०,०००/- आंकी, जिसमें से मृतक मोटरसाइकिल चालक झुमुकलाल की लापरवाही के आधार पर ६०% की कटौती की, और इस प्रकार प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अपीलार्थी/दावा-कर्ता के

पक्ष में ₹२०,०००/- की क्षतिपूर्ति राशि आवेदन की तिथि से वास्तविक भुगतान तक ९% वार्षिक ब्याज सहित प्रदान की।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश मिश्रा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण द्वारा अत्यल्प क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है तथा अपीलार्थी को हुई स्थायी अक्षमता के तथ्य की उपेक्षा की गई है; साथ ही अधिकरण द्वारा मृतक मोटरसाइकिल चालक झुमुकलाल की योगदायी उपेक्षा के आधार पर प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि में से ६०% की कटौती किया जाना भी त्रुटिपूर्ण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक-३/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल ने आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि न्यायोचित एवं युक्तिसंगत है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा आक्षेपित अधिनिर्णय का अवलोकन किया है।

8. यद्यपि अपीलार्थी/दावा-कर्ता ने यह अभिकथन किया है कि उसे उक्त दुर्घटना में स्थायी अक्षमता हुई है, तथापि उसने उसका समर्थन करने हेतु उसका उपचार करने वाले चिकित्सक का परीक्षण नहीं कराया गया।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम पी. थिरुपाल रेड्डी, प्रतिवेदित (२००५) १२ एस.सी.सी. १९९, के निर्णय में पैरा ६ में निम्नानुसार अवलोकन किया है–

"6. प्रत्यर्थी-दावा-कर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात्, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करने का प्रयास किया, हम यह पाते हैं कि उच्च न्यायालय के पास डॉ. सुधाकर रेड्डी द्वारा जारी अक्षमता प्रमाण-पत्र पर भरोसा करने तथा चोट को ४५% स्थायी अक्षमता मानते हुए क्षतिपूर्ति बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उपेक्षा कर गंभीर त्रुटि की कि डॉ. सुधाकर रेड्डी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र अधिकरण द्वारा उस चिकित्सक के परीक्षित न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। अधिकरण ने डॉ. के. एम. मित्रा के बयान के आधार पर शारीरिक अक्षमता १५% निर्धारित की थी और न्यायोचित एवं उचित क्षतिपूर्ति प्रदान की थी। उच्च न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप कर तथा क्षतिपूर्ति बढ़ाकर त्रुटि की। परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हैं तथा दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय को पुनर्स्थापित करते हैं। प्रत्यर्थी-दावा-कर्ता को अधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि, यदि पूर्व में आहरित न की गई हो, आहरित करने की अनुमति दी जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *राजेश कुमार उर्फ़ राजू बनाम युद्धवीर सिंह एवं अन्य*, प्रतिवेदित *(२००८) ७* एस.सी.सी. *३०५*, के प्रकरण में अपने हालिया निर्णय में वही दृष्टिकोण पुनः दोहराया है और पैरा ११ में निम्नलिखित अवलोकन किया है–

"11.इस प्रकरण में संबंधित प्रमाण-पत्र दो वर्ष पश्चात् प्राप्त किया गया था। यह ज्ञात नहीं है कि क्या अस्पताल के सिविल सर्जन ने अपीलार्थी का उपचार किया था। यह भी ज्ञात नहीं है कि दुर्घटना घटित होने के दो वर्ष बाद ऐसा प्रमाण-पत्र किस आधार पर जारी किया गया। उक्त प्रमाण-पत्र के लेखक को परीक्षित नहीं किया गया। जब तक प्रमाण-पत्र के लेखक स्वयं परीक्षित न हों, तब तक वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह भी ज्ञात नहीं है कि ६०% अक्षमता का आकलन कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर किया गया था अथवा किसी अन्य आधार पर। यह भी ज्ञात नहीं है कि वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम था अथवा नहीं। यहाँ तक कि यह भी प्रतीत नहीं होता कि हमारे समक्ष उठाए गए तर्क अधिकरण अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाए गए थे। अतः अधिकरण तथा उच्च न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर ही कार्यवाही की। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में कोई आपत्ति न उठाए जाने की स्थिति में–जो हमारी राय में प्रथमदृष्टया लागू ही नहीं होता–ऐसा तर्क प्रथम बार इस स्तर पर उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय ने प्रदीप कुमार साहू बनाम सरूपा साहू एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक ३१ मार्च, २००९ के आदेश द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों तथा संदर्भित प्रकरणों पर भरोसा करते हुए, पैरा ८ में निम्नानुसार निर्णय दिया है–

"8. उपर्युक्त उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, अर्थात् *ए.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम पी. थिरुपाल रेड्डी* (पूर्वोक्त) तथा *राजेश कुमार*

उपनाम राजू बनाम युद्धवीर सिंह एवं अन्य (पूर्वोक्त), के दृष्टिगत, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र, जिसे जारी करने वाले चिकित्सक का परीक्षण नहीं किया गया हो, न तो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और न ही उसे प्रकरण में क्षतिपूर्ति के आकलन हेतु सारभूत साक्ष्य के रूप में विचार में लिया जा सकता है।"

12. यह निर्विवाद है कि उक्त दुर्घटना में दावा-कर्ता को अनेक चोटें आई थीं। तथापि, दावा-कर्ता ने अपने विवेक से दुर्घटना में आई चोटों तथा उनसे उत्पन्न हानि को सिद्ध करने हेतु किसी चिकित्सक को परीक्षित नहीं किया। उपर्युक्त संदर्भित प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, प्रस्तुत किए गए चोट-रिपोर्ट एवं प्रमाण-पत्र, तथा उन्हें जारी करने वाले चिकित्सक के परीक्षण के अभाव में, न तो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं और न ही प्रकरण में क्षतिपूर्ति में वृद्धि के लिए सारभूत साक्ष्य के रूप में विचारणीय हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपर्युक्त के आलोक में, जहाँ तक अपीलार्थी/दावा-कर्ता को हुई चोटों के लिए अधिकरण द्वारा ₹५०,०००/- की क्षतिपूर्ति राशि आंके जाने का प्रश्न है, इस न्यायालय को प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में उसमें कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। तथापि, वर्तमान प्रकरण में विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मोटरसाइकिल पर पिछली सवारी के पक्ष में प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि को इस आधार पर घटाया जा सकता है कि उक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक एवं ट्रक चालक दोनों की संयुक्त उपेक्षा (composite negligence) के कारण हुई थी।

14. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जब दो या अधिक वाहनों से संबंधित दुर्घटना में कोई तृतीय पक्ष (अर्थात् संबंधित वाहनों के चालक एवं स्वामी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति) क्षति अथवा चोट के लिए दावा करता है, तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति उन दोषकारियों की संयुक्त लापरवाही के कारण घायल हुआ है। ऐसे मामलों में प्रत्येक दोषकारी व्यक्ति घायल के प्रति सम्पूर्ण क्षति के भुगतान हेतु संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होता है तथा घायल व्यक्ति को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह सभी दोषकारियों के विरुद्ध अथवा उनमें से किसी एक के विरुद्ध दावा प्रस्तुत करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *टी.ओ. एंथोनी बनाम करवानन एवं अन्य,* प्रतिवेदित *(२००८)३ एस.सी.सी.* ७४८, के प्रकरण में पैरा ६ एवं ७ में निम्नानुसार निर्णय दिया है–

"6. संयुक्त उपेक्षा (Composite Negligence)' से आशय दो या अधिक व्यक्तियों की लापरवाही से है। जब किसी व्यक्ति को दो या अधिक दोषकारियों की लापरवाही के परिणामस्वरूप चोट पहुँचती है, तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन दोषकारियों की संयुक्त लापरवाही के कारण घायल हुआ है। ऐसे मामलों में प्रत्येक दोषकारी व्यक्ति घायल के प्रति सम्पूर्ण क्षति के भुगतान हेतु संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होता है तथा घायल व्यक्ति को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह सभी दोषकारियों के विरुद्ध अथवा उनमें से किसी एक के विरुद्ध कार्यवाही करे। ऐसे मामलों में घायल व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह प्रत्येक दोषकारी की उत्तरदायित्व की सीमा पृथक-पृथक सिद्ध करे, और न ही न्यायालय के

लिए यह आवश्यक होता है कि वह प्रत्येक दोषकारी की दायित्व-सीमा अलग-अलग निर्धारित करे। इसके विपरीत, जब किसी व्यक्ति को चोट आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण तथा आंशिक रूप से उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण होती है, तो घायल की वह लापरवाही, जिसने दुर्घटना में योगदान दिया हो, 'योगदायी उपेक्षा (Contributory Negligence)' कहलाती है। जहाँ घायल स्वयं कुछ हद तक लापरवाही का दोषी होता है, वहाँ केवल उसकी लापरवाही के कारण उसका क्षतिपूर्ति का दावा निरस्त नहीं होता, किन्तु उसे प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति उसकी योगदायी उपेक्षा के अनुपात में घटा दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अतः, जब किसी दुर्घटना में दो वाहन सम्मिलित हों और उनमें से किसी एक का चालक दूसरे चालक के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्षतिपूर्ति का दावा करे, तथा दूसरा चालक लापरवाही से इनकार करे अथवा यह दावा करे कि घायल दावा-कर्ता स्वयं लापरवाह था, तब यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या घायल दावा-कर्ता लापरवाह था और यदि हाँ, तो क्या वह दुर्घटना के लिए पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से उत्तरदायी था तथा उसकी उत्तरदायित्व की सीमा क्या थी, अर्थात् उसकी योगदायी उपेक्षा कितनी थी। अतः, जहाँ घायल स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी हो, वहाँ 'संयुक्त उपेक्षा' का सिद्धांत लागू नहीं होगा और न ही यह स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही का अनुपात ५०:५० था, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में मान लिया गया है। अधिकरण को अपीलार्थी की योगदायी उपेक्षा की सीमा का परीक्षण करना चाहिए था और इस प्रकार संयुक्त लापरवाही एवं योगदायी उपेक्षा के बीच उत्पन्न भ्रम से बचना चाहिए था। उच्च न्यायालय उक्त त्रुटि को सुधारने में असफल रहा।"

16. अब यदि प्रकरण के तथ्यों की ओर पुनः दृष्टि डालें, तो अपीलार्थी/दावा-कर्ता एक तृतीय पक्ष है, क्योंकि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल मृतक झुमुकलाल देवांगन चला रहा था तथा ट्रक प्रत्यर्थी क्रमांक-1 द्वारा चलाया जा रहा था। एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक एवं ट्रक चालक दोनों की संयुक्त उपेक्षा के कारण हुई थी, तो अपीलार्थी/दावा-कर्ता को दुर्घटना के कारण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और वह उनमें से किसी एक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करने का पूर्ण अधिकार रखता है। अधिकरण ने संयुक्त उपेक्षा एवं योगदायी उपेक्षा के बीच के भेद को सही रूप में नहीं समझा और इसी कारण मोटरसाइकिल चालक की कथित उपेक्षा के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि में से ६०% की कटौती कर त्रुटि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अतः, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, अपीलार्थी/दावा-कर्ता अधिकरण द्वारा आंकी गई ₹५०,०००/- की संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का हकदार है और मृतक झुमुकलाल देवांगन, अर्थात् मोटरसाइकिल चालक, की योगदायी उपेक्षा के आधार पर उसमें से किसी भी राशि की कटौती किया जाना उचित नहीं है।

18. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज की अवधि को लेकर पक्षकारों के मध्य किसी संभावित विवाद से बचने के उद्देश्य से, इस अपील में ही बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर देय ब्याज की राशि का निर्धारण कर दिया जाना उपयुक्त होगा।

19. समस्त सुसंगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम ₹३०,०००/- की बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर देय ब्याज की राशि ₹२०००/- निर्धारित करते हैं।

20. उपर्युक्त कारणों से, क्षतिपूर्ति में वृद्धि हेतु अपीलार्थी/दावा-कर्ता द्वारा दायर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹२०,०००/- की क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर ₹५०,०००/- किया जाता है तथा ₹३०,०००/- की बढ़ी हुई राशि पर ₹२०००/- की निर्धारित ब्याज राशि भी प्रदान की जाती है। अधिनिर्णय की शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। इस सीमा तक अधिनिर्णय संशोधित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. प्रत्यर्थी क्रमांक-३/दि ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को निर्देशित किया जाता है कि वह बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष तीन माह की अवधि के भीतर जमा करे। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **एन . के. अग्रवाल**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By - Aditya Mishra

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur